खारिज
17.6.2025

2025/399

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

लालचन्द बनाम बद्रीप्रसाद आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 87 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.06.2025	प्रार्थी लालचन्द की तरफ से वकील श्री रविकुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा लालपुरा के खाता संख्या 109/233 के प0न0 243/435 (182) के किला न0 7/2 ता 14, 17 ता 24 की 3.6770 है0 बारानी प0न0 243/436 (208) के किला नं. 1 ता 4 की 1.0120 है0 बारानी कुल 4.6890 है. बारानी व खाता संख्या 108/97 के प0न0 242/431(141) के किला नं0 15 ता 19, 22 ता 25 की 2.0490 है0 बारानी, प.नं. 242/432 (156) के किला नं. 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14/1, 17/2 ता 19/1 की 2.6590 है0 बारानी कुल 4.7080 है0 भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 07.07.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
17.6.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी का राजीनामा होने के कारण प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं, मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं। अतः [illegible] मौजूदा स्थिति में खारिज [illegible] राजीनामा के क्रम में बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	राजीनामा होने से चलाना नहीं चाहता लालचन्द पहचानकर्ता 17/6/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.30 15:45:49 IST
Reason: SelfAttested